प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/203571/PRG/PRATAPGARH/1389/CFO
दिनांक : 15-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SANT ABHYASI SCHOOL OF BASIC EDUCATION** पता **VILL- KADIPUR, KILAI,SULTANPUR TO VARANASHI RAJMARG,PRATAPGARH** तहसील - **PATTI** प्लाट एरिया **6930 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2834** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SANT ABHYASI SCHOOL OF BASIC EDUCATION	3	0	10.7 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SANT ABHYASI SCHOOL OF BASIC EDUCATION** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **18-06-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SAURABH SINGH, saurabhsingh47@gmail.com, 9559207909** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **19-06-2026** से **18-06-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SANT ABHYASI SCHOOL OF BASIC EDUCATION** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SANT ABHYASI SCHOOL OF BASIC EDUCATION** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धो के अधीन निर्गत है-
भवन में ढांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राईज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शासनादेश संख्याः 18/छः-पु0-2022/905(34) /2016 टी0सी0 दिनांकः 07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन प्रबन्धक की होगी तथा भवन के ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। बिजली के लोड इत्यादि से सम्बन्धित समय-2 पर विद्युत विभाग से निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
RAJU
7553241OB25415C37D01FE9722698EC87BB70004
19-06-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-06-2026
स्थान : PRATAPGARH

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.